उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मांगीलाल बनाम पक्ष मु. सं. 34/2023 प्रा.पत्र T.I.	

दिनांकः 21.10.2024

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अकबरपुर तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 292 रकबा 0.53 व 293 रकबा 0.65 हैक्टर में 1/2 भाग प्रार्थी एवं शेष अप्रार्थी 1 लगायत 7 का हिस्सा है जिसका बाहमी बंटवारा कर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 प्रार्थी को ऐलानिया धमकी देते रहते है कि विधिवत बंटवारा नहीं करायेंगे और हमारे पसंद की आराजी को ही बोयेंगे तुम चाहो जो करलो। अप्रार्थीगण द्वारा दी गई धमकी से प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होने का पूर्ण अंदेशा है इसी कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं.1 लगायत 7 उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने वकील प्रार्थी की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबंदी सं. 2073–76 का अवलोकन करने पाया कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी मांगीलाल पुत्र अर्जुन जाति कोली निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इससे प्रमाणित होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी 1/2 भाग का खातेदार है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी पर कब्जा कर सकते है जिससे प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

Adv

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मोतीलाल बनाम पदम मु. सं. 34/2023 प्रा.प्र. T.I.
	पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वादपत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम अकबरपुर तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 292 रकबा 0.53 हैक्टर व 293 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1800 हैक्टर में प्रार्थी के कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल बाद संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को खुले इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा